



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

08AA 060922

नामनिर्देशन पत्र के साथ अभ्यर्थी द्वारा रिटनिंग ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ-पत्र
नागदा-खाचरौद (२१२) निर्वाचन क्षेत्र से
मध्यप्रदेश विधानसभा के निर्वाचन के लिए

में दिलीपसिंह गुर्जर पुत्र स्व. श्री भैरूसिंहजी गुर्जर, आयु - ४५

निवासी - ४/१, रामसहाय मार्ग, नागदा जं. जिला उज्जैन मध्य प्रदेश

उपरोक्त निर्वाचन में सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञान और निम्न प्रकार से एतद्वारा शपथपूर्वक कहता हूँ कि -

१) निम्नलिखित प्रकरण मेरे विरुद्ध लंबित है, जिसका न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है -

१)I) अधिनियम एवं उसकी धारा और अपराध का विवरण जिसका/जिनका न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है -

भारतीय दण्ड संहिता की धारा १४७, १४८, ३२६, १४९, ३२३, ३२४, सहपठित धारा १४९। उक्त प्रकरण भाजपा नेता लालसिंह राणावत व दिलीप शेखावत द्वारा दिनांक २०/८/९८ को प्रशासन की अनुमति बगैर मेरी अनुपस्थिति में मेरे निवास पर जुलूस लाकर राजीव गांधीजी की जयंति मना रहे कार्यकर्ताओं पर हमला करने व मेरे नाम से असत्य रिपोर्ट करने के संबंध में है। उक्त विवाद के संबंध में दिलीप शेखावत व लालसिंह राणावत आदि भाजपा के नेताओं पर पुलिस द्वारा अपराध क्र. ३४८/९८ पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।

II) न्यायालय जिसके द्वारा संज्ञान लिया गया है -

न्यायालय न्यायीक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी खाचरौद जिला उज्जैन (श्री खान साहब)

विचारण न्यायालय न्यायीक दण्डाधिकारी महोदय प्रथम श्रेणी, नागदा (श्री श्रीवास्तव)

III) प्रकरण क्रमांक - प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या ३४८/९८ प्रकरण क्रमांक ७२/०१


निरंतर...२

शपथग्रहणता द्वारा उक्त आदेश क तत्काल कोट अधीन / धनगोश्या नदों को गते है।

ATTESTED
 NOTARY
 NAGDA (M.P.)
 3 NOV 2008

(Handwritten Signature)

- IV) न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने के आदेश की तारीख -
दिनांक १९/२/२००१ को आरोप विरचित किये गये।
- V) संज्ञान लेने के उपरोक्त न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपील/पुनरीक्षण आदि, यदि कोई हो तो उसका विवरण -
आरोप विरचित किये गये आदेश की कोई अपील/पुनरीक्षण नहीं कि गई।
- २) I) अधिनियम एवं उसकी धारा और अपराध का विवरण जिसका/जिनका न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है -
भारतीय दण्ड संहिता की धारा १४८, ३२४, ३२५, सहपठित धारा १४९ तथा रेलवे एक्ट धारा १४५ उक्त प्रकरण पूर्व जिला बंदर गुण्डे लक्ष्मणसिंह शेखावत द्वारा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नामदा आगमन पर रेलवे स्टेशन नामदा पर स्वागत के समय किये गये विवाद से संबंधित है। उक्त प्रकरण न्यायालय न्यायीक दण्डाधिकारी महोदय प्रथम श्रेणी रतलाम (स्पेशल रेल्वे) मजिस्ट्रेट रतलाम में पेश प्रायवेट कम्प्लेंट पर से दर्ज किया गया है।
- II) न्यायालय जिसके द्वारा संज्ञान लिया गया है -
न्यायालय न्यायीक दण्डाधिकारी महोदय प्रथम श्रेणी रतलाम (स्पेशल रेल्वे मजिस्ट्रेट रतलाम) को संज्ञान का अधिकार है।
- III) प्रकरण क्रमांक - प्रकरण क्रमांक २०१५/०१
- IV) न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने के आदेश की तारीख -
दिनांक १/७/२००२ प्रायवेट कम्प्लेंट दर्ज की गई।
- V) संज्ञान लेने के उपरोक्त न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपील/पुनरीक्षण आदि, यदि कोई हो तो उसका विवरण -
शपथग्रहिता द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध कोई अपील/पुनरीक्षण नहीं की गई है।
- ३) I) अधिनियम एवं उसकी धारा और अपराध का विवरण जिसका/जिनका न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है -
भारतीय दण्ड संहिता की धारा १४७, ३४१ दिनांक १०/१/२००५ को खाचरीद ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अब्दुल जलील कुरेशी के नेतृत्व में विधुत समस्या को लेकर चक्काजाम किया गया। उक्त चक्काजाम के संदर्भ में कांग्रेस के २२ कार्यकर्ताओं पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।
- II) न्यायालय जिसके द्वारा संज्ञान लिया गया है -
न्यायालय न्यायीक दण्डाधिकारी महोदय प्रथम श्रेणी खाचरीद, जिला उज्जैन
- III) प्रकरण क्रमांक - प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक ८/२००५ प्र.क्र. २३१२/०६
- IV) न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने के आदेश की तारीख -
उक्त प्रकरण में आरोप की विरचना नहीं की गई है।
- V) संज्ञान लेने के उपरोक्त न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपील/पुनरीक्षण आदि, यदि कोई हो तो उसका विवरण -
शपथग्रहिता द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध कोई अपील/पुनरीक्षण नहीं की गई है।



ATTESTED

NOTARY

ENSH. NAGAR

3 NOV 2008

2-10-08

निर्वाह...३

- 2) कि मैं इसके द्वारा अपना / पत्नि तथा अपने आश्रितों की परिसम्पत्तियों (अचल/चल बैंक जमा आदि) का विवरण इसके नीचे दे रहा हूँ -

क) चल परिसम्पत्तियों के विवरण -

(संयुक्त स्वामित्व के विस्तार को बताते हुए संयुक्त नाम में परिसम्पत्तियों को भी बताना होगा)

क्रम संख्या	विवरण	स्वयं	पति/पत्नि का नाम	आश्रित 1 का नाम	आश्रित 2 का नाम	आश्रित 3 का नाम
		दिलीपसिंह गुर्जर	श्रीमती राजकुमारी	पुत्री मोनिका	पुत्री विद्या	पुत्र हर्षवर्धन
1.	भगद	9 लाख 24 हजार रु.	04 हजार	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2.	बैंक, वित्तीय संस्थानों और गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों में जमा धन राशि	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
3.	कम्पनियों में भांड, डिबेन्चर और शेयर	रेलिन शेयर 43 43 हजार	अरुणी केमिकल नामदा 840 शेयर किमत 8400 रु.	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
4.	अन्य वित्तीय साधनों एन.एच.एस. डाक बचत एल.आय.सी. पाबिसी आदि	जीवन नित्र पॉलिसी टेबल नं. 933/29 दिनांक 28/3/09 4 लाख रुपये बीमा पॉलिसी प्लान नं. 933/28 मुख्य 4 लाख दिनांक 28/9/2008	कुछ नहीं	बीमा पॉलिसी 24 हजार रुपये	बीमा पॉलिसी 24 हजार रुपये	बीमा पॉलिसी 24 हजार रुपये
5.	मोटर वाहन (कम्पनी) मॉडल आदि का विवरण	1 कमाण्डर जीप मॉडल 9994 पंजीयन क्र. ए.पी 93सी 8338 एक टाटा कंपनी मॉडल 9906 पंजीयन क्र. एन.आई.यू. 9403	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
6.	गहने (भार तथा कीमत का विवरण दें)	90 ग्राम सोने गहने 99 हजार	900 ग्राम सोना किमत 9 लाख 90 हजार	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
7.	अन्य परिसम्पत्तियों जैसे दावे का मूल्य / ब्याज	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

निस्तार...8

श्रीमती राजकुमारी

REHMA BACHA OMS

2008

9/10/08

ख) अचल परिसम्पत्तियों के विवरण -

(टिप्पणी: संयुक्त स्वामित्व की सम्पत्ति में संयुक्त स्वामित्व के विस्तार का भी उल्लेख किया जाए)

क्रम संख्या	विवरण	स्वयं	पति/पत्नि का नाम	आश्रित १ का नाम	आश्रित २ का नाम	आश्रित ३ का नाम
१.	कृषि भूमि - स्थिति (स्थितियों) - सर्वेक्षण संख्या - विस्तार (कुल माप) - वर्तमान बाजार कीमत	दिलीपसिंह गुर्जर ग्राम बनवनी सर्वे क्र. २१५, २१६ रकबा १.७६ हेक्टेयर १ लाख ८० हजार	श्रीमती राजकुमारी ग्राम बडीया सर्वे क्र. २४५, १.५२ हेक्टेयर क्षेत्र १/२ १ लाख ५० हजार	पुत्री धोत्रिका	पुत्री दिव्या	पुत्र हर्षवर्धन
२.	घर कृषि भूमि - स्थिति (स्थितियों) - सर्वेक्षण संख्या - विस्तार (कुल माप) - वर्तमान बाजार मूल्य	ग्राम पाडलया कला पेतुक संपत्ति खाता क्रमांक ७, ४७ व ४८ ६.५७९ हेक्टेयर हिस्सा १/६ ५ लाख रुपये १ प्लॉट स्थित शिवपुरा नागदा लम्बाई ५० फिट चौड़ाई २५ फिट किमत - ५० हजार रुपये अमलादरिया रोड पर ६ प्लॉट किमत - ९० हजार रुपये	श्रीगणेश नगर खाबरीद प्लाट १२५० वर्गफिट ५० हजार रुपये माधव गृह निर्माण मंडल खोलोनी मुसमद क्र. १२ २४०० वर्गफिट ४० हजार रुपये	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
३.	भवन (व्यावसायिक और आवासीय) - स्थिति (स्थितियों) - सर्वेक्षण/दस्तावाजा नम्बर - विस्तार (कुल माप) - वर्तमान बाजार मूल्य	आवासीय शमसहाय मार्ग, नागदा पेतुक मकान गृह क्रमांक ४/१ १० बाय १० हिस्सा १/३ ५ लाख रुपये प्रकाश नगर, नागदा पेतुक मकान २० बाय ६० २ लाख रुपये	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
४.	मकान/अपार्टमेंट आदि - स्थिति (स्थितियों) - सर्वेक्षण/दस्तावाजा नम्बर - विस्तार (कुल माप) - वर्तमान बाजार कीमत	सांसदों/विधायकों की आवासीय योजना रिविएरा टाउन कोटरा सुल्तानाबाद भोपाल में आवंटित मकान क्र. ४४ क्षेत्रफल १४५२.६० वर्ग फीट २५.६२ लाख २० लाख हाउस लोन स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, शाखा भोपाल म.प्र.	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
५.	अन्य (सम्पत्ति में अंश आदि)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

निरंतर...५

श्रीमती राजकुमारी
श्रीमती राजकुमारी

१०/१०/२०२०

१०/१०/२०२०

१०/१०/२०२०

3. में सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं और सरकारी देनदारियों की बकाया अपनी देयताओं/अंत देयताओं का विवरण इसके नीचे दे रहा हूँ :-

क्रम संख्या	विवरण	बैंक/वित्तीय (संस्थान/संस्थानों) का नाम व पता	दिनांक को बकाया राशि
1	बैंक से ऋण	जिला सहकारी केन्द्रिय बैंक मर्चा, प्रधान कार्यालय उज्जैन शाखा नामवा	दिनांक 3/11/08 को विद्यमान बकाया के रु. 9,00,000 के ऋण का मय ब्याज के राशि 422969 रु. बकाया
		एनएस लोन स्टेट बैंक ऑफ इंदौर शाखा टी.टी. नगर, भोपाल	20 लाख रुपये
2	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	एल.आई.सी. से ऋण	दिनांक 3/11/2008 तक ऋण
		पोलिसी नं. 382491099 पोलिसी नं. 382602098	992450 रु. ब्याज 14060 38400 रु. ब्याज 4240
3	सरकारी देयताएं -	विभाग (विभागों) का नाम और पता	
	क) शासकीय आवास से संबंधित विभाग/विभागों की देयताएं।		कुछ नहीं
	ख) जल आपूर्ति से संबंधित विभाग/विभागों की देयताएं।		कुछ नहीं
	ग) विद्युत आपूर्ति से संबंधित विभाग/विभागों की देयताएं।	म.प्र.वि.वि.कं. लि. (प.शे.) कर्मालय नामवा जिला उज्जैन	स्वयं पर कोई बाकी नहीं दिनांक 3/11/2008 तक मेरुसिंह पिता हरदेवसिंह के नाम से 99889 रुप।
	घ) दूरभाष से संबंधित विभाग/विभागों की देयताएं।	दूरसंचार विभाग, भोपाल	टेलीफोन बिल वर्ष 11/11 का विद्यमान बिल 84334 रु. शेष
	ङ) शासकीय परिवहन (वायुयान एवं हेलीकॉप्टर सहित) से संबंधित विभाग विभागों की देयताएं।		कुछ नहीं
	अन्य देयताएं, यदि कोई हो।		कुछ नहीं
		बैंक/वित्तीय (संस्थान/संस्थाओं) विभाग (विभागों) का नाम व पता	
4	अभिभार सहित आयकर (आयकर विस्तृत किताब निर्धारण वर्ष तक दाखिल की गई, उसका भी उल्लेख करें) अपना रखाई लेखा नम्बर (पैन) भी दें।	आयकर विभाग	आज दिनांक तक आयकर की कोई राशि बकाया नहीं है
		पैन नं. - AKSPG2676A	
2	घन कर (घन कर की विवरणी किताब निर्धारण वर्ष तक दाखिल की गई, उसका भी उल्लेख करें)		आज दिनांक तक घनकर की कोई राशि बकाया नहीं है
3	दिक्री कर (केवल, साम्प्रतिक व्यवसाय के मामले में)		आज दिनांक तक दिक्रीकर की कोई राशि बकाया नहीं है
4	सम्पत्ति कर		आज दिनांक तक सम्पत्ति कर की कोई राशि बकाया नहीं है

4. मेरी शैक्षिक योग्यता निम्नलिखित है -
विश्वविद्यालय उज्जैन,

वर्ष 1988

बी.ए. (द्वितीय वर्ष) प्रायवेद
अभिसाक्षी

31/11/08
31/11/08
31/11/08

3 NOV 2008

संस्थापन

मैं उपरोक्त नाम का अभिसाक्षी, इसके द्वारा यह स्थापित करता हूँ और यह घोषणा करता हूँ कि इस सचय-पत्र की विषय-वस्तु मेरे विस्तृत और जानकारी में सत्य और सही है और इसका कोई भी भाग गलत नहीं है और कुछ भी महत्वपूर्ण इसमें छिपाया नहीं गया है।

दिनांक 3 नवम्बर वर्ष - 2008 के सोमवार के दिन को नामदा पर स्थापित है।

अभिसाक्षी

दिलीपसिंह पिता मेरुसिंह मुर्जर
निवासी - 8/9, रामसहाय मार्ग, नामदा जं.



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH, प्ररूप २६

08AA 060921

(नियम ४ क देखिए)

नागदा-खाचरौद (२१२) निर्वाचन क्षेत्र से
विधानसभा के निर्वाचन के लिए

शपथ - पत्र

मध्यप्रदेश विधानसभा के निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ-पत्र।

मैं दिलीपसिंह गुर्जर पुत्र स्व. श्री भेरूसिंहजी गुर्जर, आयु - ४५

निवासी - ४/१ रामसहाय मार्ग, नागदा जं. जिला उज्जैन का निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ। शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ -

१) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किये गये हैं।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त हूँ तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी) -

मेरे विरुद्ध निम्न तीन मामले न्यायालय में विद्याराधीन है, एक मामले में न्यायालय ने आरोप विरचित किया गया है

प्रकरणों की सूची -

१) 1) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएँ -

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या ३४७/९८

पुलिस थाना - नागदा, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश राज्य।

(Signature)

NOTARY
EMRIL NAGDA
3 NOV 2008 11

(२)

- III) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है - भारतीय दण्ड संहिता की धारा १४७, १४८, ३२६, १४९, ३२३, ३२४, सहपठित धारा १४९। उक्त प्रकरण भाजपा नेता दिलीप शेखावत व लालसिंह राणावत द्वारा दिनांक २०/८/९८ को प्रशासन की अनुमति बगैर मेरी अनुपस्थिति में मेरे निवास पर जुलूस लाकर राजीव गांधीजी की जयंति मना रहे कार्यकर्ताओं पर हमला करने व मेरे नाम से असत्य रिपोर्ट करने के संबंध में है। उक्त विवाद के संबंध में दिलीप शेखावत व लालसिंह राणावत आदि भाजपा के नेताओं पर पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक ३४८/९८ पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।
- IV) न्यायालय जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई - न्यायालय न्यायीक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी खाचरोद जिला उज्जैन द्वारा उक्त प्रकरण में आरोप की विरचना की गई।
- V) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था/किए गए थे - दिनांक १९/२/२००१ को आरोप विरचित किये गये थे।
- VI) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गयी है/है- प्रकरण की कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी नहीं गयी है।
- २) I) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएँ - प्रकरण क्रमांक २०९५/०१
II) पुलिस थाना - जी.आर.पी. पुलिस थाना शामगढ, जिला मंदसौर मध्य प्रदेश राज्य जी.आर.पी. पुलिस चौकी रेल्वे स्टेशन नामदा
- III) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है - भारतीय दण्ड संहिता की धारा १४८, ३२४, ३२५, सहपठित धारा १४९ तथा रेल्वे एक्ट धारा १४५ उक्त प्रकरण पूर्व जिला बदर मुण्डे लक्ष्मणसिंह शेखावत द्वारा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नामदा आममन पर रेल्वे स्टेशन नामदा पर स्वागत के समय किये गये विवाद से संबंधित है। उक्त प्रकरण न्यायालय न्यायीक दण्डाधिकारी महोदय प्रथम श्रेणी रतलाम (स्पेशल रेल्वे)मजिस्ट्रेट रतलाम में पेश प्रायवेट कम्प्लेंट के आधार पर दर्ज किया गया है।
- IV) न्यायालय जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई - उक्त प्रकरण में आरोप की विरचना नहीं की गई है।
- V) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था/किए गए थे - उक्त प्रकरण में आरोप की विरचना नहीं की गई है।
- VI) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गयी है/है- उक्त प्रकरण की कार्यवाही सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी नहीं गयी है।
- ३) I) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएँ - प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक ८/२००५
II) पुलिस थाना - पुलिस थाना खाचरोद जिला उज्जैन म.प्र.

निसं. ३

ATTESTED
NOTARY
TEHSIL NAGDA (M.P.)
= 3 NOV 2008

[Handwritten Signature]

- III) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है - भारतीय दण्ड संहिता की धारा १४७, ३४१ दिनांक १०/१/२००५ को खाचरोद ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अब्दुल जलील कुतबी के नेतृत्व में विद्युत समस्या को लेकर धक्काजाम किया गया। उक्त धक्काजाम के संदर्भ में कांग्रेस के २२ कार्यकर्ताओं पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।
- IV) न्यायालय जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई - उक्त प्रकरण में आरोप की विरचना नहीं की गई है।
- V) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था/ किए गए थे - उक्त प्रकरण में आरोप की विरचना नहीं की गई है।
- VI) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गयी है/हैं-

उक्त प्रकरण की कार्यवाही सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोखी नहीं गयी है।

२) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१ (१९५१ का ४३) की धारा ८ की उपधारा (१) या उपधारा (२) में निर्दिष्ट या उपधारा (३) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दण्डादिष्ट नहीं किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त में सिद्धदोष ठहराया गया है और दण्डादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :-

- | | | |
|---|---|-------|
| १) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं | : | निरंक |
| २) न्यायालय जिसने दण्डित किया गया है | : | निरंक |
| ३) पुलिस थाना (थाने) जिला (जिले) राज्य | : | निरंक |
| ४) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (अपराधों) के संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है। | : | निरंक |
| ५) तारीख (तारीखें) जिनको दण्डादेश सुनाया गया था/ सुनाए गए थे : | : | निरंक |
| ६) क्या दण्डादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है / राके गए हैं। | : | निरंक |

स्थान : नागदा

दिनांक : ३/११/२००८

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

(दिलीपसिंह पिता भेरूसिंह गुर्जर)

निवासी-४/१, रामसहाय मार्ग, नागदा

सत्यापन

मैं उपर नामित अभिसाक्षी यह सत्यापित और घोषित करता हूँ कि इस शपथ-पत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भी मिथ्या नहीं है और कोई तात्त्विक बात छिपायी नहीं गयी है।

नागदा पर आज तारीख ३/११/२००८ को सत्यापित किया।

ATTESTED
NOTARY
RAMESH NAGDA (M.P.)

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर
(दिलीपसिंह पिता भेरूसिंह गुर्जर)
निवासी-४/१, रामसहाय मार्ग, नागदा